HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1467/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1539/2026

URN: CRLAS / 2733U / 2026

Shahid Son Of Rasool Khan S/o Rasool Khan, Resident Of Aterna Samsabad, Police Station Nagina, District Nuh Mewat (Haryana)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री असलम एस. खान
For Respondent(s)	:	श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

14-07-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–3, अलवर राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**35/2022 सरकार बनाम रसीद उर्फ चोचू वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **29.06.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी शाहिद की सजा विचारण न्यायालय द्वारा 30 दिन के लिए स्थगित

की गई है। गवाहों के कथनों में विरोधाभास है । उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया । अपीलार्थी की सजा विचारण न्यायालय द्वारा 30 दिन के लिए स्थगित की गई है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **13.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **शाहिद पुत्र रसूल खां** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/31